भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 847

दिनांक 29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज

847. श्री दर्शन सिंह चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम और नरसिंहपुर जिलों में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, नरसिंहपुर और रायसेन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य अवसंरचना के विकास हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है, को प्राथमिकता देते हुए मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) संचालित करता है। केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच निधियन साझाकरण तंत्र पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में और अन्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में है। इस योजना के तहत, मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में 14 मेडिकल कॉलेज (चरण- I में दतिया, खंडवा, रतलाम, शहडोल, विदिशा, छिंदवाड़ा और शिवपुरी; चरण- II में सतना और चरण- III में राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, शिवपुर और सिंगरौली) को अनुमोदित किया गया है, जिनमें से 10 कार्यशील हैं।

मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के स्तरोन्नयन हेतु एमबीबीएस (यूजी) सीटों और पीजी सीटों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सीएसएस के तहत, मध्य प्रदेश राज्य को 1020 करोड़ रुपये की कुल अनुमोदित लागत से 11 मेडिकल कॉलेजों में 850 एमबीबीएस सीटें बढ़ाने और 702.21 करोड़ रुपये की कुल अनुमोदित लागत से 06 मेडिकल कॉलेजों में 849 पीजी सीटें बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

******